Drishti IAS

करेंट अफेयर्स राजस्थान

अप्रैल (संग्रह)

2024

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

राजस्थान **3**

- राजस्थान दिवस 2024 3
- राजस्थान RSS समूह द्वारा CAA पात्रता प्रमाण-पत्र वितरण 4
- गगन शक्ति-2024 5
- राजस्थान सरकार का डेस्टिनेशन वेडिंग उद्योग को बढ़ावा देने का आग्रह 6
- राजस्थान में सौर ऊर्जा परियोजना 7
- सौर अपशिष्ट प्रबंधन 7
- 3.7 राजस्थान में भूकंप की तीव्रता 8
- जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अधिकार जीवन और समानता के अधिकार का हिस्सा: SC 10
- DRDO ने हथियार प्रणाली का परीक्षण किया 11
- अनुच्छेद 371 11
- वित्त वर्ष 25 में राजस्व बढ़ाने हेतु योजना 12
- भिवाड़ी से दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे 13
- राजस्थान में कारीगरों को प्रोत्साहन 14
- मानित वन स्थिति 15
- द्वेषपूर्ण भाषण 15
- टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड (TTDF) 16
- राजस्थान में पाकिस्तानी हिंदू अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहे 17
- थार रेगिस्तान में वनस्पति की संभावना 17
- चंबल नदी 19

नोट :

राजस्थान

राजस्थान दिवस 2024

चर्चा में क्यों ?

राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष 30 मार्च को राज्य के स्थापना दिवस को मनाने के लिये मनाया जाता है, जिस दिन यह आधिकारिक तौर पर संघीय इकाई का हिस्सा बन गया।

मुख्य बिंदु:

- **क्षेत्रफल की दृष्टि से यह सबसे बड़ा राज्य है।** राजस्थान का एक लंबा इतिहास है जो प्रागैतिहासिक काल से चला आ रहा है। इसकी संस्कृति **सिंधु घाटी सभ्यता** के समान थी, जो 3,000 और 1,000 ईसा पूर्व के बीच की थी।
  - 12वीं शताब्दी तक **चौहान** एक शाही शक्ति बन गए और 7वीं शताब्दी से राजपूत मामलों पर उनका प्रभुत्व रहा। चौहानों के बाद मेवाड़ गुहिलों ने युद्धरत जनजातियों के भाग्य पर शासन किया।
- वर्तमान राजस्थान निम्नलिखित 7 चरणों में अस्तित्व में आया:
  - **मत्स्य संघ:** भारत का विभाजन बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक आंदोलन द्वारा प्रकट हुआ जिसने राष्ट्र को अभिभूत कर दिया। **भरतपुर और अलवर** भी इन दंगों से सुरक्षित नहीं रहे।
    - **17 मार्च 1948** को, भारत सरकार ने इन राज्यों की देखरेख अपने हाथ में ले ली क्योंकि शासक शांति बनाए रखने में विफल रहे। इन राज्यों के पड़ोसी क्षेत्र **करौली और धौलपुर** थे। सरकार की सलाह पर, **सभी चार राज्य मत्स्य संघ बनाने के लिये एक साथ आने पर सहमत हुए।**
  - **राजस्थान संघ:** 25 मार्च 1948 को, दक्षिणी एवं दक्षिण-पूर्वी राजपूताना के **कुशलगढ़, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, शाहपुरा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर तथा किशनगढ़ नामक** दस और राज्यों ने एक साथ मिलकर एक और संघ की संरचना की, जिसे पूर्वी राजस्थान का नाम दिया गया।
  - **संयुक्त राज्य राजस्थान:** इसके बाद, **उदयपुर राज्य (मेवाड़) भी 18 अप्रैल 1948** को राजस्थान संघ में एकजुट हो गया। तब इसका नाम बदलकर संयुक्त राजस्थान कर दिया गया। अत: राजस्थान के 15 राज्यों ने अपना-अपना संघ बनाया।
  - **ग्रेटर राजस्थान: 30 मार्च 1949** को चार राज्यों का गठन हुआ। जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और जैसलमेर इस एकीकरण में शामिल हुए तथा इस क्षेत्र को ग्रेटर राजस्थान के रूप में जाना जाने लगा। इसमें नीमरा और लावा की रियासतें भी शामिल हो गईं। 30 मार्च को अब राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है।
  - **संयुक्त राज्य ग्रेटर राजस्थान:** 15 मई 1949 को, मत्स्य संघ को ग्रेटर राजस्थान में मिला दिया गया और उसके बाद इस परिसंघ को संयुक्त राज्य ग्रेटर राजस्थान का नाम दिया गया।
  - **संयुक्त राजस्थान:** एकमात्र राज्य सिरोही अभी तक महासंघ में शामिल नहीं हुआ था। सिरोही राज्य 26 जनवरी 1950 को महासंघ में शामिल हुआ।
  - **पुनर्गठित राजस्थान:** अजमेर-मेरवाड़ा क्षेत्र लंबे समय तक ब्रिटिश शासन के अधीन था और राज्य पुनर्गठन आयोग के बयान के प्रस्ताव पर **1 नवंबर 1956** को इसे राजस्थान में मिला दिया गया। उस समय मध्य प्रदेश की भानपुरा तहसील और गुजरात की आबू तहसील को भी राजस्थान में मिला दिया गया था।

नोट :

राजस्थान RSS समूह द्वारा CAA पात्रता प्रमाण-पत्र वितरण

चर्चा में क्यों ?

राजस्थान में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़ा एक समूह नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (CAA) के तहत नागरिकता के लिये आवेदन करने में मदद करने हेतु शिविरों का आयोजन कर रहा है और पाकिस्तान से आए हिंदू समुदाय के सदस्यों को "पात्रता प्रमाण-पत्र" जारी कर रहा है।

मुख्य बिंदु:

- **सीमाजन कल्याण समिति** नामक समूह, जो पाकिस्तान सीमा से लगे क्षेत्रों में सक्रिय है, ने राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर के लगभग 330 लोगों को **गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किये गए नागरिकता पोर्टल पर अपने दस्तावेज़ अपलोड करने में मदद की है।**
- CAA **पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के छह "उत्पीड़ित" गैर-मुस्लिम समुदायों** के सदस्यों को नागरिकता प्रदान करता है।
- प्रमाण-पत्र, **"स्थानीय रूप से प्रतिष्ठित सामुदायिक संस्थान"** द्वारा जारी किया जाने वाला एक अनिवार्य दस्तावेज़ है, जिसे एक हलफनामे के साथ संलग्न किया जाना है और अन्य दस्तावेज़ों के साथ CAA पोर्टल पर अपलोड किया जाना है।
- यह ध्यान दिया जाना चाहिये कि चूँकि पाकिस्तानी हिंदू तीर्थयात्री या पर्यटक वीज़ा पर कानूनी रूप से भारत में प्रवेश करते थे, इसलिये वे **नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5 और धारा 6** के तहत नागरिकता के लिये पात्र थे।
- CAA का इरादा पश्चिम बंगाल में **अनुसूचित जाति समुदाय मतुआओं को लाभ पहुँचाने का भी है, जो वर्ष 1971 के युद्ध के दौरान और उसके बाद बांग्लादेश** से आए थे।

समूह नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019

- **परिचय**
  - CAA **पाकिस्तान, अफगानिस्तान** और **बांग्लादेश** से छह गैर-दस्तावेज़ गैर-मुस्लिम समुदायों (**हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई**) को धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है, जिन्होंने **31 दिसंबर, 2014** को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया था।
  - यह अधिनियम इन **छह समुदायों** के सदस्यों को **विदेशी अधिनियम, 1946** और **पासपोर्ट अधिनियम, 1920** के तहत किसी भी **आपराधिक मामले** से छूट देता है।
    - दोनों अधिनियम **अवैध रूप से देश में प्रवेश करने** और **वीज़ा या परमिट** के समाप्त हो जाने पर यहाँ रहने के लिये **दंड निर्दिष्ट** करते हैं।
- **नियम**
  - **CAA नियम 2024: नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6B CAA** के अंतर्गत नागरिकता के लिये आवेदन प्रक्रिया का आधार है। भारतीय नागरिकता हेतु पात्र होने के लिये आवेदक को अपनी राष्ट्रीयता, धर्म, भारत में प्रवेश की तिथि एवं भारतीय भाषाओं में से किसी एक में दक्षता का प्रमाण देना होगा।
    - **मूल देश का प्रमाण:** लचीली आवश्यकताएँ विभिन्न दस्तावेज़ों की अनुमति देती हैं, जिनमें जन्म अथवा शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, पहचान दस्तावेज़, लाइसेंस, भूमि रिकॉर्ड अथवा उल्लिखित देशों की नागरिकता सिद्ध करने वाला कोई भी दस्तावेज़ शामिल है।
    - **भारत में प्रवेश की तिथि:** आवेदक भारत में प्रवेश के प्रमाण के रूप में 20 अलग-अलग दस्तावेज़ प्रदान कर सकते हैं, जिनमें वीज़ा, आवासीय परमिट, जनगणना पर्चियाँ, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, राशन कार्ड, सरकारी अथवा न्यायालयी पत्र, जन्म प्रमाण-पत्र और बहुत कुछ शामिल हैं।

मतुआ समुदाय

- मूल रूप से **पूर्वी पाकिस्तान के रहने वाले मतुआ विभाजन के दौरान और बांग्लादेश के निर्माण** के बाद भारत आ गए। हालाँकि, अभी भी बड़ी संख्या में लोगों को भारतीय नागरिकता मिलनी बाकी है।

नोट :

- मतुआ महासंघ एक धार्मिक सुधार आंदोलन है, जिसकी शुरुआत 1860 ई. के आस-पास हरिचंद ठाकुर द्वारा वर्तमान बांग्लादेश के फरीदपुर प्रांत के गोपालगंज में पीड़ितों के उत्थान के लिये की गई थी।
  - उन्होंने जाति, वर्ग और पंथ से परे प्रेम, सहिष्णुता, लैंगिक समानता एवं गैर-भेदभाव का प्रचार किया।
- शुरुआत में मतुआ-महासंघ ने सरलीकृत अनुष्ठानों का पालन किया, लेकिन बाद में **वैष्णववाद** को अपनाया।

गगन शक्ति-2024

चर्चा में क्यों ?

भारतीय वायु सेना (IAF) उच्च प्रबलता वाले अभियानों के लिये अपनी क्षमताओं व तैयारियों का परीक्षण करने के लिये 10 दिवसीय (1-10 अप्रैल, 2024) अभ्यास 'गगन शक्ति-2024' (Gagan Shakti-2024) का आयोजन कर रही है।

प्रमुख बिंदु:

- इस अभ्यास के दौरान IAF द्वारा **"यथार्थवादी परिवेश में" अपनी शक्ति एवं क्षमता का प्रदर्शन** किया जाता है, जिसमें देश भर में मौजूद सभी वायु सेना अड्डों और परिसंपत्तियों को भी शामिल किया जाता है।
  - **इससे पूर्व 'गगन शक्ति' अभ्यास का आयोजन वर्ष 2018 में** किया गया था जब भारतीय वायुसेना ने दो चरण के हवाई युद्धाभ्यास के दौरान 11,000 से अधिक उड़ानें भरीं, जिसमें बल की तैनात परिसंपत्तियों का संकेंद्रण 48 घंटे से भी कम समय में पश्चिमी क्षेत्र से पूर्वी मोर्चे तक पहुँच गया।
  - इसका उद्देश्य चीन और पाकिस्तान के साथ दो मोर्चों पर युद्ध की दृष्टि से भारतीय वायुसेना की तैयारी का परीक्षण करना था।
- नवीनतम अभ्यास **वायु शक्ति-2024** अभ्यास का अनुसरण करता है, जो जैसलमेर के निकट **पोखरण एयर-टू-ग्राउंड रेंज में आयोजित** किया गया था, जहाँ भारतीय वायुसेना ने **राफेल लड़ाकू जेट, मिराज-2000, सुखोई-30 MKI, तेजस हलके लड़ाकू विमान (LCA), जगुआर, चिनूक हेवी-लिफ्ट हेलीकॉप्टर, अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर, मानव रहित हवाई वाहन और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली** सहित अपनी अग्रिम पंक्ति की परिसंपत्ति तैनात की थी।
  - इस वर्ष वायु शक्ति के बाद **भारत शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया जिसमें तीनों सेनाओं ने भाग लिया**। एकीकृत त्रि-सेवाओं के **'लाइव फायर और युद्धाभ्यास'** अभ्यास ने प्रदर्शित किया कि कैसे भारतीय सेना युद्ध के मैदान पर हावी होने तथा **राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये किसी भी खतरे का दमन करने के लिये अपनी स्वदेशी क्षमताओं का लाभ उठाने की योजना** बना रही है।
  - इस अभ्यास में **तेजस LCA Mk-1, हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड**, सशस्त्र उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर, **टी-90 टैंक, BMP-II पैदल सेना के लड़ाकू वाहन**, ड्रोन से लॉन्च की जाने वाली सटीक निर्देशित युद्ध सामग्री, रॉकेट, वायु रक्षा हथियार तथा धनुष, शारंग और K9 वज्र जैसी आर्टिलरी गन व विभिन्न प्रकार के **मानवरहित हवाई वाहन** सहित कई हथियार तथा युद्धक प्रणालियाँ शामिल थीं।
- भारतीय वायुसेना 'तरंग शक्ति' की भी मेज़बानी करेगी, जो एक मेगा अभ्यास है जिसमें **12 वैश्विक वायु सेनाओं को एक साथ लाने** की आशा है, इस अभ्यास में **अंतर-संचालनीयता में सुधार, एक दूसरे से सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने और भाग लेने वाले देशों के बीच सैन्य सहयोग** को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
  - यह भारत में आयोजित होने वाला सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास होगा।
  - इसमें लड़ाकू **जेट, परिवहन विमान, हेलीकॉप्टर, मिड-एयर रीफ्यूलर, हवाई चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली (AWACS)** विमान तथा मानव रहित सिस्टम शामिल होंगे।

नोट :

राजस्थान सरकार का डेस्टिनेशन वेडिंग उद्योग को बढ़ावा देने का आग्रह

चर्चा में क्यों ?

सूत्रों के अनुसार, राजस्थान में पर्यटन उद्योग डेस्टिनेशन वेडिंग मार्किट को बढ़ाने के प्रयास तेज़ करने पर विचार कर रहा है।

पर्यटन उद्योग के अधिकारियों ने कहा कि हालाँकि राजस्थान प्रत्येक वर्ष कई शाही विवाह समारोह का आयोजन करता है, लेकिन पर्यटन विभाग की भागीदारी में कमी दिखती है।

मुख्य बिंदु:

- **राजस्थान पर्यटन विभाग** के अनुसार, राज्य में घरेलू पर्यटन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, **वर्ष 2023 में 17.90 करोड़** से अधिक पर्यटक इस रेगिस्तानी राज्य में आए।
  - वर्ष 2023 में, राजस्थान ने लगभग **18 करोड़ घरेलू और 17 लाख विदेशी पर्यटकों** का स्वागत किया, जो वर्ष 2020 के आँकड़ों से एक महत्त्वपूर्ण वृद्धि है, जो **1.51 करोड़ घरेलू एवं 4.46 लाख** विदेशी पर्यटक थे।
  - यह संख्या वर्ष 2021 में **2.19 करोड़ घरेलू और 34,806 विदेशी पर्यटकों से बढ़कर वर्ष 2022 में 10.83 करोड़ घरेलू तथा 39,684 विदेशी पर्यटक** हो गई।
- राजस्थान अनूठे पर्यटन उत्पादों को विकसित करने में अग्रणी रहा है, चाहे वह **वर्ष 1982 में पैलेस ऑन व्हील्स लक्ज़री ट्रेन का शुभारंभ हो या पुष्कर मेले जैसे त्योहार के अनुभव का निर्माण हो या पर्यटन स्थलों के रूप में विरासत संपत्तियों** का अनुकूल पुन: उपयोग हो।
- राज्य ने वर्ष 1989 में पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया और तब से इस क्षेत्र के लिये कई राजकोषीय प्रोत्साहन बढ़ाए हैं, जिसकी शुरुआत वर्ष 1993 में पूंजी निवेश सब्सिडी से हुई थी।

राजस्थान पर्यटन नीति, 2020

- **दृष्टिकोण**
  - पर्यटकों को उच्च गुणवत्ता का अनुभव प्रदान करके राजस्थान को **घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पर्यटकों के** लिये एक पसंदीदा पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करना।
  - **ज़िम्मेदार और सतत् नीतियों** के माध्यम से राज्य की **प्राकृतिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक विरासत** का संरक्षण सुनिश्चित करने के साथ-साथ स्थानीय आबादी के लिये आजीविका के अवसरों में सुधार करके सामाजिक-आर्थिक विकास में तेज़ी लाना।
- **उद्देश्य**
  - राजस्थान को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में एक **अग्रणी पर्यटन ब्रांड** के रूप में बढ़ावा देना।
  - मौजूदा पर्यटन उत्पादों को मज़बूत और विविधतापूर्ण बनाना।
  - विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कम ज्ञात स्थलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए **नवीन पर्यटन उत्पाद और सेवाएँ** प्रदान करें।
  - सड़क, रेल और हवाई मार्ग से पर्यटन स्थलों की **कनेक्टिविटी में सुधार करना।**
  - पर्यटक आवास **अवसंरचना का विस्तार करना।**
  - पर्यटन उत्पादों का **व्यापक आधार पर प्रचार और विपणन।**
  - लाभकारी स्व-रोज़गार सृजित करने के लिये पर्यटन विशिष्ट कौशल विकास की सुविधा प्रदान करना।
  - **प्रभावी अंतर्विभागीय समन्वय** को बढ़ावा देने के लिये उपयुक्त तंत्र बनाना।

नोट :

- राज्य में **निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करने** के लिये कदम उठाना।
- पर्यटकों और विशेष रूप से महिला यात्रियों के लिये एक **सुरक्षित वातावरण प्रदान करना** तथा पर्यटक शिकायत निवारण प्रणालियों में सुधार करना।
- पर्यटन इकाइयों की स्थापना के लिये स्वीकृति प्रदान करने हेतु उपयुक्त प्रशासनिक संरचना के साथ विभाग को सशक्त बनाना।
- बेहतर नीति निर्माण और पूर्वानुमान के लिये बाज़ार अनुसंधान तथा सांख्यिकी ग्रिड विकास ढाँचा विकसित करना।

राजस्थान में सौर ऊर्जा परियोजना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड ने राजस्थान में ग्रुप कैप्टिव योजना के तहत 100 मेगावाट (MW) सौर ऊर्जा परियोजना को पूरा करने की घोषणा की।

- अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन नेटवर्क से अपनी कैप्टिव खपत के लिये विद्युत प्राप्त करने की यह कंपनी की पहली परियोजना है।

मुख्य बिंदु:

- इस परियोजना से विद्युत **राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा सहित अन्य** में कंपनी की इकाइयों को उपलब्ध होगी।
  - कंपनी के पास अब 612 MW नवीकरणीय ऊर्जा और 278 MW **वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम (WHRS)** की क्षमता है।
    - **WHRS**, **ऊर्जा-बचत विद्युत उत्पादन प्रणालियाँ** हैं जो मुख्य इंजन की निकास गैस से **ऊर्जा पुनर्प्राप्त और पुनः उपयोग** करती हैं।
- अल्ट्राटेक सीमेंट ने **वर्ष 2030 तक अपने हरित ऊर्जा मिश्रण को 85%** तक बढ़ाने के लिये प्रतिबद्ध किया है और यह परियोजना नवाचार, स्थिरता तथा सभी के लिये एक उज्जवल, स्वच्छ भविष्य की खोज के प्रति इसके समर्पण की पुष्टि करती है।

ग्रुप कैप्टिव योजना

- यह एक **विद्युत खरीद तंत्र** है जिसमें व्यक्ति या समूह विशेष रूप से अपने उपयोग के लिये विद्युत खरीदने के लिये विद्युत संयंत्र स्थापित करते हैं।
- इन कैप्टिव उपयोगकर्त्ताओं के पास सामूहिक रूप से विद्युत संयंत्र का न्यूनतम **26% स्वामित्व होना** चाहिये और उनके आनुपातिक स्वामित्व शेयरों के आधार पर **10% से अधिक की भिन्नता** के साथ सालाना उत्पन्न विद्युत का **न्यूनतम 51% उपभोग** करना चाहिये।

सौर अपशिष्ट प्रबंधन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'भारत के सौर उद्योग में एक चक्रीय अर्थव्यवस्था को सक्षम करना - सौर अपशिष्ट क्वांटम का आकलन' शीर्षक वाली एक रिपोर्ट भारत के बढ़ते सौर अपशिष्ट संकट पर प्रकाश डालती है।

मुख्य बिंदु:

- यह अध्ययन **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE)** द्वारा **ऊर्जा, पर्यावरण तथा जल परिषद** (एशिया में एक अग्रणी गैर-लाभकारी नीति अनुसंधान संस्थान) के विशेषज्ञों के सहयोग से आयोजित किया गया था।

नोट :

- **रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएँ:**
  - वित्त वर्ष 2023 तक भारत की वर्तमान सौर क्षमता द्वारा लगभग **100 किलोटन** संचयी अपशिष्ट उत्पन्न किया है, जो वर्ष 2030 तक बढ़कर 340 किलोटन हो जाएगा।
  - वर्ष 2030 तक अनुमानित कचरे का लगभग 67% पाँच राज्यों द्वारा उत्पादित होने की आशा है: **राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश**
  - फेंके गए सौर मॉड्यूल में भारत के आर्थिक विकास तथा राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु आवश्यक **महत्त्वपूर्ण खनिज** शामिल हैं, जिनमें **सिलिकॉन, ताँबा, टेल्यूरियम एवं कैडमियम** शामिल हैं।
- राजस्थान में देश के सभी राज्यों की तुलना में **सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता है।**
  - अगस्त 2023 तक, **राजस्थान की परिचालन सौर ऊर्जा परियोजनाओं ने लगभग 17.8 गीगावॉट सौर ऊर्जा का उत्पादन किया।**

सौर अपशिष्ट

- सौर अपशिष्ट सौर मॉड्यूल के निर्माण के दौरान उत्पन्न कोई भी अपशिष्ट है या विनिर्माण प्रक्रियाओं से छोड़े गए मॉड्यूल और स्क्रैप हैं।
  - मॉड्यूल को उनके कार्यात्मक जीवन के अंत में या परिवहन, हैंडलिंग और स्थापना से क्षति के कारण त्याग दिया जाता है।
  - सौर अपशिष्ट के अनुचित प्रबंधन और भूमिभरण से बचना चाहिये। मूल्यवान खनिजों को पुन: प्राप्त करने तथा **सीसा एवं कैडमियम जैसे विषाक्त पदार्थों के निक्षालन** को रोकने के लिये उचित उपचार आवश्यक है।
- अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी (International Renewable Energy Agency- IRENA) के अनुसार, ग्लास और मेटल फ्रेम सहित सौर पैनल के लगभग 80% घटक पुनर्चक्रण योग्य हैं।
  - काँच, एल्यूमीनियम, ताँबा, सिलिकॉन और चाँदी जैसी सामग्रियों को पुनर्प्राप्त करने के लिये सौर अपशिष्ट का पुनर्चक्रण किया जा सकता है।
  - पुनर्चक्रण को आमतौर पर **यांत्रिक, थर्मल और रासायनिक प्रक्रियाओं में वर्गीकृत किया** जा सकता है।
    - प्रत्येक प्रक्रिया अलग-अलग शुद्धता ग्रेड के विशिष्ट खनिजों की पुनर्प्राप्ति में मदद करती है।

3.7 राजस्थान में भूकंप की तीव्रता

चर्चा में क्यों ?

नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक, हाल ही में राजस्थान के पाली में 3.7 तीव्रता का भूकंप आया।

मुख्य बिंदु:

- सरल शब्दों में भूकंप **पृथ्वी का कंपन** है। यह एक प्राकृतिक घटना है। यह बहुत बड़ी ऊर्जा की मुक्ति के कारण होता है, जो सभी दिशाओं में गमन करने वाली तरंगें उत्पन्न करती है।
- **भूकंपीय तरंगें** कहे जाने वाले कंपन उन भूकंपों से उत्पन्न होते हैं जो पृथ्वी के माध्यम से यात्रा करते हैं और भूकंपमापी नामक उपकरणों पर दर्ज किये जाते हैं।
- **भूकंप के प्रकार:** भ्रंश क्षेत्र, टेक्टोनिक भूकंप, ज्वालामुखीय भूकंप, मानव प्रेरित भूकंप।
- **भारत में भूकंप:**
  - तकनीकी रूप से सक्रिय नवोदित वलित पर्वतों यथा हिमालय की उपस्थिति के कारण भारत अत्यधिक भूकंप प्रभावित देशों में से एक है।
  - भूकंपीयता, अतीत में आए भूकंपों और क्षेत्र की विवर्तनिक संरचना से संबंधित वैज्ञानिक जानकारी के आधार पर भारत को **चार भूकंपीय क्षेत्रों (II, III, IV और V)** में विभाजित किया गया है।

नोट :

भूकंप

के बारे में

- पृथ्वी का कंपन; ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगे उत्पन्न होती हैं, जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती हैं

अवकेंद्र (Hypocenter)

- वह स्थान जहाँ भूकंप का उद्गम होता है (पृथ्वी की सतह के नीचे)

अधिकेंद्र (Epicenter)

- अवकेंद्र के समीपस्थ स्थान (पृथ्वी की सतह पर)

भूकंपीय तरंगें

- भूगर्भिक तरंगें: पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हैं।
  - P तरंगें: तीव्र गति से चलती हैं, ध्वनि तरंगों जैसी होती हैं, गैस, तरल व ठोस तीनों प्रकार के पदार्थों से गुज़र सकती हैं।
  - S तरंगें: धरातल पर कुछ समय अंतराल के बाद पहुँचती हैं, केवल ठोस पदार्थों के ही माध्यम से चलती हैं।
- धरातलीय तरंगें: भूकंपलेखी (सिस्मोग्राफ) पर अंत में अभिलेखित होती हैं, अधिक विनाशकारी, शैलों/चट्टानों के विस्थापन का कारण बनती हैं
  - लव तरंगें: लंबवत् विस्थापन के बिना S-तरंगों के समान गति (क्षैतिज), क्षैतिज गति प्रसार की दिशा के लंबवत्, रेले तरंगों की तुलना में तीव्र गति
  - रेले तरंगें: भूमि पर दीर्घवृत्ताकार पथ में दोलन उत्पन्न करती हैं, सभी भूकंपीय तरंगों में से अधिकांश के प्रसार का कारण बनती हैं, एक ऊर्ध्वाधर ताल में लंबवत् व क्षैतिज रूप से गति करती हैं

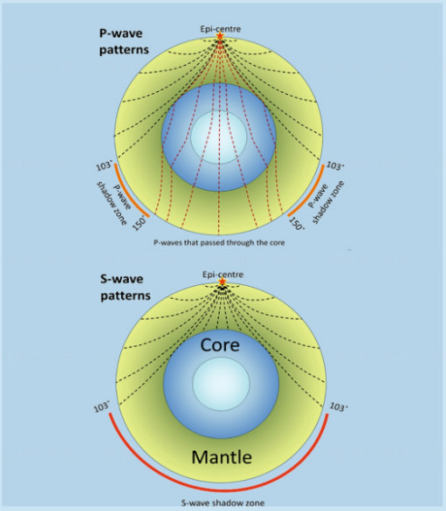

भूकंप के कारण

- किसी भ्रंश/भ्रंश ज़ोन के किनारे-किनारे ऊर्जा का निर्मुक्त होना (भूपर्पटी की शिलों में दरारें)
- टेक्टोनिक प्लेटों का संचलन (सबसे सामान्य कारण)
- ज्वालामुखी विस्फोट (शैल के तनाव में परिवर्तन - मैग्मा का अन्तःक्षेपण/निकासी)
- मानवीय गतिविधियाँ (खनन, रसायनों/परमाणु उपकरणों का विस्फोटन आदि)

भूकंप का मापन

- भूकंपमापी (Seismometer)- भूकंपीय तरंगों को मापता है
- रिक्टर पैमाना (Richter Scale)- परिमाण को मापता है (निर्मुक्त ऊर्जा; सीमा: 0-10)
- मरकैली (Mercalli)- तीव्रता को मापता है (दृश्यमान क्षति; सीमा: 1-12)

वितरण

- परि-प्रशांत मेखला (Circum-Pacific Belt)- सभी भूकंपों का 81%
- अल्पाइड भूकंप मेखला (Alpide Earthquake Belt)- सबसे बड़े भूकंपों का 17%
- मध्य अटलांटिक कटक (Mid-Atlantic Ridge)- अधिकांशत: जल के नीचे डूबा हुआ

भारत में भूकंप

- तकनीकी रूप से सक्रिय पर्वतों- हिमालय की उपस्थिति के कारण भारत भूकंप से अत्यंत प्रभावित देशों में से एक है।
- भारत को 4 भूकंपीय क्षेत्रों (II, III, IV, और V) में विभाजित किया गया है।

Drishti IAS

नोट :

जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अधिकार जीवन और समानता के अधिकार का हिस्सा: SC

चर्चा में क्यों ?

एक महत्त्वपूर्ण फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने "जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अधिकार" को शामिल करने के लिये अनुच्छेद 14 और 21 के दायरे का विस्तार किया है।

मुख्य बिंदु:

- पीठ **ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB)** को विद्युत पारेषण लाइनों के कारण अपना आवास स्थान खोने से बचाने की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
  - सर्वोच्च न्यायालय के अप्रैल 2021 के आदेश ने GIB के संरक्षण हेतु राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनें स्थापित करने पर प्रतिबंध लगा दिया।
- **अनुच्छेद 21** जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को मान्यता देता है जबकि अनुच्छेद 14 इंगित करता है कि सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता एवं कानूनों का समान संरक्षण प्राप्त होगा।
  - ये अनुच्छेद **स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों** के खिलाफ अधिकार के महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं।
- जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को पहचानने और इससे निपटने की कोशिश करने वाली सरकारी नीति एवं नियमों व विनियमों के बावजूद, भारत में जलवायु परिवर्तन तथा संबंधित चिंताओं से संबंधित कोई एकल या व्यापक कानून नहीं है।
- पर्यावरणीय समस्याओं को संवैधानिक बनाने के सर्वोच्च न्यायालय के महत्त्वपूर्ण निर्णय:
  - **एम.सी. मेहता बनाम कमल नाथ, 1996:** सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि जीवन के लिये आवश्यक बुनियादी पर्यावरणीय तत्त्वों जैसे वायु, जल और मिट्टी में कोई भी गड़बड़ी जीवन के लिये खतरनाक होगी अत: इसे प्रदूषित नहीं किया जा सकता है।
  - **वीरेंद्र गौड़ बनाम हरियाणा राज्य (1995):** सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार की रक्षा करता है और इसे गरिमा के साथ जीवन के आनंद के लिये स्वच्छता तक विस्तारित करता है।

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB)

- **ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (Ardeotis nigriceps) राजस्थान का राजकीय पक्षी** है और भारत का सबसे **गंभीर रूप से संकटग्रस्त**
- **पक्षी** माना जाता है।
- यह घास के मैदान की प्रमुख प्रजाति मानी जाती है, जो चरागाह पारिस्थितिकी का प्रतिनिधित्व करती है।
- ये अधिकांशत: राजस्थान और गुजरात में पाए जाते हैं। **महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश** में यह प्रजाति कम संख्या में पाई जाती है।
  - ये प्रजाति खतरे की स्थिति में है जिसके प्रमुख कारणों में ऊर्जा ट्रांसमिशन लाइनों के साथ टकराव/विद्युत-आघात से मृत्यु (Electrocution), शिकार (वर्तमान समय में पाकिस्तान में प्रचलित), व्यापक कृषि विस्तार के परिणामस्वरूप निवास स्थान में परिवर्तन और उसका ह्रास शामिल है।
- **सुरक्षा की स्थिति:**
  - **अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की रेड लिस्ट:** गंभीर रूप से संकटग्रस्त
  - **वन्यजीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES):** परिशिष्ट-1
  - **प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय (CMS):** परिशिष्ट-I
  - **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972:** अनुसूची-

पर्यावरण से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- **संविधान के अनुच्छेद 48A** में प्रावधान है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों एवं वन्यजीवों की सुरक्षा करने का प्रयास करेगा

नोट :

- **अनुच्छेद 51A के खंड (g) में कहा गया है कि वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करना व जीवित प्राणियों के प्रति दया रखना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य होगा।**

DRDO ने हथियार प्रणाली का परीक्षण किया

चर्चा में क्यों ?

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO), मैन-पोर्टेबल एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल (MPATGM) हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण करके एक महत्त्वपूर्ण मील के पत्थर पर पहुँच गया है।

- MPATGM जिसकी मारक क्षमता **2.5 किलोमीटर** है, जिसमें पैदल सेना के उपयोग के लिये **फायर-एंड-फॉरगेट** और शीर्ष हमले की क्षमताएँ हैं।

मुख्य बिंदु:

- राजस्थान में **पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज (PFFR)** में किये गए परीक्षणों ने उपयोगकर्त्ता टीम के सामने MPATGM के प्रभावशाली प्रदर्शन को प्रदर्शित किया।
- DRDO द्वारा भारत में निर्मित, MPATGM हथियार प्रणाली में MPATGM, मैन पोर्टेबल लॉन्चर, **लक्ष्य अधिग्रहण प्रणाली (TAS)** और **फायर कंट्रोल यूनिट (FCU)** शामिल हैं।
- परीक्षण से साबित हुआ है कि सिस्टम भारतीय सेना के **जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स (GSQR)** द्वारा उल्लिखित पूर्ण परिचालन विशिष्टताओं के भीतर कार्य कर सकता है।
  - **MPATGM** के **टेंडेम वारहेड सिस्टम** के लिये प्रवेश परीक्षणों का पूरा होना आधुनिक कवच-संरक्षित मुख्य युद्धक टैंकों को हराने की इसकी क्षमता को प्रदर्शित करता है।
  - दिन/रात और शीर्ष हमले की क्षमताओं के साथ, यह **एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम** टैंक युद्ध स्थितियों में बढ़ी हुई प्रभावशीलता के लिये ड्यूल मोड/दोहरे मोड साधक की सुविधा प्रदान करता है।
- सफल परीक्षण **'आत्मनिर्भर भारत'** के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम था।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

- **DRDO रक्षा मंत्रालय का रक्षा अनुसंधान एवं विकास (Research and Development) विंग है, जिसका लक्ष्य भारत को अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों से सशक्त बनाना है।**
- DRDO की स्थापना वर्ष 1958 में रक्षा विज्ञान संगठन (Defence Science Organisation- DSO) के साथ भारतीय सेना के तकनीकी विकास प्रतिष्ठान (Technical Development Establishment- TDEs) तथा तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय (Directorate of Technical Development & Production- DTDP) के संयोजन के बाद की गई थी।

अनुच्छेद 371

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत की एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष ने राजस्थान की एक सार्वजनिक रैली में अनुच्छेद 371 का ज़िक्र किया जिससे विवाद उत्पन्न हो गया।

मुख्य बिंदु:

- **भारतीय संविधान के भाग XXI के तहत अनुच्छेद 371,** कुछ राज्यों को कुछ अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष शक्तियाँ प्रदान करता है।
  - यह **26 जनवरी, 1950** से संविधान का हिस्सा रहा है।
  - हालाँकि, **अनुच्छेद 371 (A-J) को अनुच्छेद 368 के माध्यम से संशोधन के माध्यम से लाया गया था।**

नोट :

- **12 अन्य राज्य हैं जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं।** इनमें महाराष्ट्र, गुजरात, नगालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटक शामिल हैं।
  - केंद्र ने यह भी सुझाव दिया है कि वह अनुच्छेद 371 जैसी सुरक्षा को लद्दाख तक बढ़ाने पर विचार कर रहा है।
  - इस अनुच्छेद के तहत विशेष प्रावधानों में भूमि के स्वामित्व की सुरक्षा से लेकर विकास बोर्डों की स्थापना तक शामिल हैं।
- **अनुच्छेद 371** विदर्भ, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र और कच्छ के लिये पृथक विकास बोर्डों की स्थापना तथा इन क्षेत्रों के लिये धन एवं अवसरों का समान आवंटन सुनिश्चित करने हेतु महाराष्ट्र व गुजरात के राज्यपाल को विशेष ज़िम्मेदारी देता है।
- **अनुच्छेद 371A** नगालैंड को विशेष दर्जा देता है और प्रावधान करता है कि संसद राज्य विधानसभा की सहमति के बिना नागा धर्म, सामाजिक प्रथाओं, प्रथागत कानून, भूमि अधिकार तथा नागरिक एवं आपराधिक न्याय से संबंधित मामलों पर कानून नहीं बना सकती है।
- **अनुच्छेद 371B** असम से संबंधित है और इसे वर्ष 1969 में लाया गया था। यह राष्ट्रपति को आदिवासी से चुने गए सदस्यों वाली विधान सभा की एक समिति के गठन और कामकाज से निपटने की अनुमति देता है।
- **अनुच्छेद 371C** मणिपुर पर लागू होता है और इसे वर्ष 1972 में संविधान में शामिल किया गया था। यह मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों के विधायकों की एक समिति के गठन का प्रावधान करता है।
  - यह राज्यपाल को पहाड़ी क्षेत्रों के प्रशासन पर राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट देने की विशेष ज़िम्मेदारी देता है।
- **अनुच्छेद 371 D और E** में आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना के लिये विशेष प्रावधान शामिल हैं।
  - राष्ट्रपति आंध्र प्रदेश के विभिन्न हिस्सों के लोगों को सार्वजनिक रोज़गार और शिक्षा में समान अवसर तथा सुविधाएँ प्रदान करने के लिये आदेश पारित कर सकते हैं।
- **अनुच्छेद 371F** सिक्किम को विशेष दर्जा देता है और प्रावधान करता है कि सिक्किम के लोगों के मौजूदा कानूनों, रीति-रिवाज़ों तथा अधिकारों का संसद द्वारा सम्मान एवं संरक्षण किया जाएगा।
- **अनुच्छेद 371G** मिज़ोरम पर लागू होता है। इसमें मिज़ोरम में मिज़ोस की धार्मिक एवं सामाजिक प्रथाओं, प्रथागत कानून और प्रक्रिया को संरक्षित करने के साथ-साथ भूमि के स्वामित्व तथा हस्तांतरण के अलावा आपराधिक व नागरिक न्याय प्रशासन के लिये विशेष प्रावधान शामिल हैं।
- **अनुच्छेद 371H** कानून और व्यवस्था के संबंध में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को विशेष ज़िम्मेदारी प्रदान करता है।
- **अनुच्छेद 371I** गोवा से संबंधित है। इसके लिये आवश्यक है कि गोवा की विधान सभा में कम-से-कम 30 सदस्य हों।
- **अनुच्छेद 371J** हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र (कल्याण कर्नाटक) को विशेष दर्जा देता है और क्षेत्र के लिये एक अलग विकास बोर्ड की स्थापना का प्रावधान करता है।

वित्त वर्ष 25 में राजस्व बढ़ाने हेतु योजना

चर्चा में क्यों ?

राजस्थान खान और भूविज्ञान विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष (FY25) के दौरान राजस्व बढ़ाने के लिये एक रणनीति विकसित की है।

मुख्य बिंदु:

- राजस्थान खनिजों की उपलब्धता और विविधता के मामले में सबसे समृद्ध राज्यों में से एक है, जो 57 से अधिक प्रकार के खनिजों का उत्पादन करता है।
  - वित्त वर्ष 2024 के दौरान खान विभाग ने 7,490 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व अर्जित किया।
- **अन्वेषण, ड्रिलिंग, नीलामी के लिये ब्लॉक एवं भूखंड तैयार करने,** नीलामी कैलेंडर बनाने और राजस्व संग्रहण के लिये **रोड मैप** तैयार कर दैनिक निगरानी सुनिश्चित करने की योजना बनाई गई है।
- योजना के अनुसार **अवैध खनन गतिविधियों** को रोकने के लिये वन, ज़िला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सहित **संबंधित विभागों के साथ बेहतर समन्वय मज़बूत किया जाएगा।**
- सरकार को देय राजस्व वसूली की नियमित व्यवस्था होनी चाहिये ताकि अंतिम समय में वसूली के लिये अधिक प्रयास न करना पड़े।

नोट :

अवैध खनन

- अवैध खनन भूमि या जल निकायों से **आवश्यक परमिट, लाइसेंस या सरकारी प्राधिकरणों से नियामक अनुमोदन के बिना** खनिजों, अयस्कों या अन्य मूल्यवान संसाधनों का निष्कर्षण है
- इसमें पर्यावरण, श्रम और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन भी शामिल हो सकता है।
- खनन से संबंधित सरकारी पहल
- **राष्ट्रीय खनिज नीति 2019:** इसका उद्देश्य **खनिज अन्वेषण और उत्पादन को बढ़ाना, धारणीय खनन विधियों** को बढ़ावा देना एवं नियामक प्रक्रियाओं को कारगर बनाना है।
- **प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY):** यह खनन प्रभावित क्षेत्रों और **सागरमाला परियोजना** हेतु एक कल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य खनन क्षेत्र के विकास का समर्थन करने हेतु बंदरगाह के बुनियादी ढाँचे का विकास करना है।

भिवाड़ी से दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (CREDAI) ने राजस्थान सरकार से उभरते औद्योगिक और आवासीय केंद्र भिवाड़ी को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ने की सुविधा देने का आग्रह किया है।

मुख्य बिंदु:

- **CREDAI NCR** भिवाड़ी नीमराना ने न केवल **आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने,** बल्कि **वस्तुओं और लोगों की सुचारु आवाजाही** को सुविधाजनक बनाने के लिये अनुरोध किया, जिससे **क्षेत्रीय विकास तथा समृद्धि को बढ़ावा मिले।**
  - यह CREDAI NCR के चैप्टरों में से एक है जो **भिवाड़ी, धारूहेड़ा और नीमराना** के डेवलपर्स का प्रतिनिधित्व करता है।
- उन्होंने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर इंटरचेंज के साथ **डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC)** के साथ एक सड़क विकसित करने की संभावना तलाशने का भी सुझाव दिया।

कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (CREDAI)

- CREDAI 23 राज्यों और 170 शहर चैप्टरों में फैले **11,940 से अधिक रियल एस्टेट डेवलपर्स** का **प्रतिनिधित्व करने वाला शीर्ष संगठन** है।
- **वर्ष 1999 में अपनी स्थापना के बाद से,** CREDAI ने **रियल एस्टेट क्षेत्र में निष्पक्षता, पारदर्शिता और नैतिक व्यवहार के** मानकों में सुधार के लिये निरंतर कार्य किया है।

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC)

- यह **उच्च गति और उच्च क्षमता वाला विश्व स्तरीय तकनीक के अनुसार बनाया गया एक रेल मार्ग होता है,** जिसे विशेष तौर पर माल एवं वस्तुओं के परिवहन हेतु बनाया जाता है।
- डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC) में **बेहतर बुनियादी ढाँचे और** अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी **का एकीकरण शामिल होता है।**
- **DFC में दो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हैं:**
  - **ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (EDFC):**
    - यह डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर **पंजाब में साहनेवाल (लुधियाना)** से शुरू होकर **पश्चिम बंगाल के दनकुनी** में समाप्त होता है।
    - ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (EDFC) के मार्ग में **कोयला खदानें, थर्मल पावर प्लांट और औद्योगिक शहर** मौजूद हैं।
    - इसके मार्ग में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल आदि राज्य शामिल हैं।
    - इस परियोजना का अधिकांश हिस्सा **विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित** है।
    - **351 किमी. लंबा 'न्यू भूपुर-न्यू खुर्जा खंड'** 'मौजूदा कानपुर-दिल्ली लाइन पर भीड़ को कम करेगा और साथ ही यह मालगाड़ियों की गति को 25 किमी. प्रति घंटा से 75 किमी. प्रति घंटा कर देगा।

नोट :

- **वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (WDFC):**
  - **1504 किलोमीटर लंबा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल (महाराष्ट्र) से दादरी (उत्तर प्रदेश) तक है** और यह देश के प्रमुख बंदरगाहों से होकर गुज़रता है।
  - इसमें हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश शामिल हैं।
  - यह **जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (JICA) द्वारा वित्तपोषित है।**
  -

राजस्थान में कारीगरों को प्रोत्साहन

चर्चा में क्यों ?

राजस्थान सरकार एक 'एकीकृत क्लस्टर विकास योजना' लागू करने की योजना बना रही है, जो हस्तशिल्प, हथकरघा और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्रों की उत्पादकता तथा गुणवत्ता को बढ़ावा देने में मदद करेगी।

- इसके लिये एक प्रारूप पहले ही तैयार किया जा चुका था और हितधारकों से सुझाव मांगे जा रहे थे।

मुख्य बिंदु:

- **MSME** को समर्थन देने के लिये केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों जैसे MSME, वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना एवं प्रौद्योगिकी और वाणिज्य एवं उद्योग द्वारा **क्लस्टर विकास योजनाएँ** चलाई जा रही हैं।
- प्रारूप नीति के अनुसार, **योजना के चार मुख्य घटक हैं:**
  - मुख्य घटक में क्षमता निर्माण के लिये मध्यम हस्तक्षेप, संसाधनों की आसान उपलब्धता के लिये कच्चे माल बैंक के संचालन के साथ ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों के माध्यम से बाज़ार विकास हेतु **कारीगरों, शिल्पकारों व बुनकरों को समर्थन** शामिल है।
  - दूसरा, 5 करोड़ रुपए तक की परियोजनाओं के लिये राज्य सरकार की सहायता से सामान्य सुविधा केंद्र (**Common Facility Centres- CFC**) स्थापित करने हेतु MSME समूहों को समर्थन देना है।
  - एक अन्य घटक के तहत **गैर-राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम** (Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation- **RIICO**) औद्योगिक क्षेत्रों में मौजूदा समूहों तथा **गैर-RIICO** औद्योगिक क्षेत्रों में ग्रीनफील्ड समूहों के लिये बुनियादी ढाँचे के विकास पर ध्यान दिया जाता है।
- प्रारूप नीति में कहा गया है कि कारीगरों, शिल्पकारों और बुनकरों से संबंधित क्लस्टर विकास परियोजना के कार्यान्वयन के लिये एक साझेदारी फर्म और/या एक ट्रस्ट या सोसायटी या सहकारी समिति या कंपनी या निर्माता कंपनी आदि जिसमें कम-से-कम दस कारीगर, शिल्पकार और/या बुनकर हों, जिनके पास पंजीकृत कारीगर आईडी कार्ड हो, के रूप में एक विशेष प्रयोजन वाहन (**Special Purpose Vehicle- SPV**) का गठन किया जाएगा। राजस्थान में अपना व्यापार करने वाले कारीगर, शिल्पकार और बुनकर SPV का हिस्सा बनने के पात्र होंगे।

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (RIICO)

- यह राजस्थान सरकार की एक प्रमुख एजेंसी है जिसने राजस्थान के औद्योगिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसका गठन वर्ष **1980** में किया गया था।
- 28 मार्च 1969 को **कंपनी अधिनियम, 1956** के तहत राजस्थान राज्य औद्योगिक और खनिज विकास निगम (RSIMDC) के रूप में स्थापित एक सरकारी उद्यम को 1 जनवरी 1980 को दो संस्थाओं में विभाजित किया गया था:
  - **राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड** (Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited- **RIICO**
  - **राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम** (Rajasthan State Mineral Development Corporation- **RSMDC**

नोट :

मानित वन स्थिति

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य से "वन भूमि के रूप में ओरान, दी-वान, रूंध और अन्य उपवनों की पहचान वन सर्वेक्षण के लिये उठाए जा रहे कदमों" को उजागर करने के लिये कहा। इसके प्रत्युत्तर में राजस्थान सरकार ने अंततः अपने पवित्र उपवनों, जिन्हें ओरांस के नाम से जाना जाता है, को "मानित वन" के रूप में अधिसूचित किया।

मुख्य बिंदु:

- राजस्थान के सामुदायिक वनों में ओरान सामुदायिक जीवन का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं जो कभी-कभी सदियों पुराने होते हैं, जिन्हें पारंपरिक रूप से पवित्र माना जाता है, ग्रामीण समुदायों द्वारा संरक्षित एवं प्रबंधित किया जाता है, स्थानीय कानूनों व नियमों के साथ उनके उपयोग को नियंत्रित किया जाता है।
  - पशुचारक अपने पशुओं को चराने के लिये ओरान में ले जाते हैं।
  - ये समुदायों के सामाजिक कार्यक्रमों और त्योहारों के लिये एकत्रित होने के स्थान के रूप में भी काम करते हैं।
  - ये गंभीर रूप से संकटग्रस्त **ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB)** के लिये प्राकृतिक आवास भी हैं।
- **वन संरक्षण अधिनियम (FCA), 1980** में कुछ प्रतिबंधात्मक प्रावधान थे, जिसमें वन की स्थिति को गैर-वन भूमि में बदलने के लिये केंद्र की मंज़ूरी की आवश्यकता थी। लेकिन संशोधित FCA में मानित, अवर्गीकृत और निजी वनों की मंज़ूरी राज्य सरकार स्वयं कर सकती है।
- सर्वोच्च न्यायालय के एक मामले में जहाँ इन संशोधनों की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है, न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश में कहा कि **गोदावर्मन मामले, 1996** के अनुसार वनों को संरक्षित किया जाना चाहिये।

ओरान (Orans)

- ये समुदाय-संरक्षित हरित स्थान हैं जिनमें **खेजड़ी** ***(Prosopis cineraria)*** और **रोहिडा** ***(Tecomella undulata)*** जैसे स्थानीय पेड़ शामिल हैं तथा आमतौर पर स्थानीय देवताओं को समर्पित हैं।
- ये विनाश के कगार पर थे क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड में इन्हें सरकारी भूमि की कृषि योग्य बंजर भूमि के रूप में चिह्नित किया गया था जिसे खेती के तहत लाया जा सकता था। इससे ओरान को गैर-वन गतिविधियों के लिये आवंटित करना आसान हो गया।

द्वेषपूर्ण भाषण

चर्चा में क्यों ?

निर्वाचन आयोग (EC) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान की एक रैली में दिये गए भाषण के खिलाफ की गई शिकायत की जाँच कर रहा है।

मुख्य बिंदु:

- **द्वेषपूर्ण भाषण/हेट स्पीच का परिचय:**
  - **भारत के विधि आयोग** की 267वीं रिपोर्ट में, **हेट स्पीच** को मुख्य रूप से नस्ल, जातीयता, लिंग, यौन अभिविन्यास, धार्मिक विश्वास और इसी तरह के आधार पर परिभाषित व्यक्तियों के एक समूह के खिलाफ घृणा को उकसाने वाला बताया गया है।
    - यह **निर्धारित करने के लिये** कि भाषा अभद्र है या नहीं, भाषा का संदर्भ एक **महत्त्वपूर्ण भूमिका** निभाता है।
  - यह घृणा, हिंसा, भेदभाव और असहिष्णुता को भड़काकर लक्षित व्यक्तियों तथा समूहों के साथ-साथ बड़े पैमाने पर समाज को नुकसान पहुँचा सकता है।
- **वाक् की स्वतंत्रता और हेट स्पीच:**
  - **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a)** सभी नागरिकों के लिये **मौलिक अधिकार** के रूप में **वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता** की गारंटी देता है।

नोट :

- **अनुच्छेद 19(2)** इस अधिकार पर **उचित प्रतिबंध** लगाता है, इसके उपयोग और दुरुपयोग को संतुलित करता है।
  - संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा, अन्य राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, गरिमा, नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, मानहानि, या किसी अपराध को भड़काने के हित में प्रतिबंधों की अनुमति है।

भारत का विधि आयोग

- **भारत का विधि आयोग** एक **गैर-सांविधिक निकाय** है जिसका गठन विधि एवं न्याय मंत्रालय के तहत एक सरकारी अधिसूचना द्वारा किया जाता है।
- **स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग की स्थापना वर्ष 1955 में** तीन वर्ष की अवधि के लिये की गई थी।
- **पहला विधि आयोग वर्ष 1834 में** ब्रिटिश शासन के दौरान **चार्टर अधिनियम, 1833** द्वारा स्थापित किया गया था और इसकी **अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले** ने की थी।
- यह **विधि और न्याय मंत्रालय के लिये एक सलाहकार निकाय** के रूप में काम करता है।
- विधि आयोग कानून में अनुसंधान करता है और भारत में मौजूदा कानूनों की समीक्षा करता है ताकि उनमें सुधार किया जा सके तथा केंद्र सरकार या स्वत: संज्ञान से दिये गए संदर्भ पर नए कानून बनाए जा सकें।

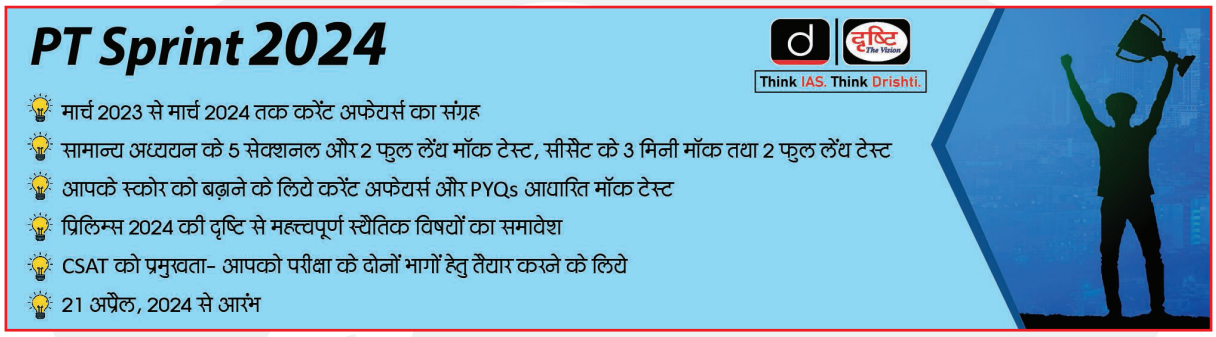

टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड (TTDF)

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत सरकार के दूरसंचार विभाग (DoT) के प्रमुख दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र सी-डॉट तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर ने "AI का उपयोग करके 5G और उससे आगे के नेटवर्क में स्वचालित सेवा प्रबंधन" के लिये एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।

मुख्य बिंदु:

- इस समझौते पर DoT के **टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड (TTDF)** के तहत हस्ताक्षर किये गए हैं, जिसे ग्रामीण एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों में किफायती ब्रॉडबैंड और मोबाइल सेवाओं को सक्षम करने के लिये **प्रौद्योगिकी डिज़ाइन, विकास, दूरसंचार उत्पादों के व्यवसायीकरण तथा समाधान** में कार्यरत घरेलू कंपनियों व संस्थानों को वित्त पोषण सहायता प्रदान करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
- इसका **मुख्य उद्देश्य** 5G जैसे नेटवर्क में सृजित हो रही निरंतर जानकारी का उपयोग करके **स्वचालित नेटवर्क प्रबंधन, गलती का पता लगाने और निदान तकनीकों के लिये AI ढाँचे** को विकसित करना है।
- यह सेवा स्मार्ट मीटरिंग, रिमोट से संचालित वाहनों आदि जैसे विशिष्ट एप्लिकेशन के संयोजन में विकसित स्वचालित नेटवर्क प्रबंधन तथा स्लाइसिंग तकनीकों के प्रदर्शन के लिये एक **वास्तविक समय 5G और उससे आगे टेस्टबैड (O-RAN के अनुपालन में)** स्थापित करेगी।

O-RAN

- O-RAN एक तकनीक नहीं है, बल्कि **मोबाइल नेटवर्क आर्किटेक्चर में एक निरंतर बदलाव** है जो विभिन्न प्रकार के विक्रेताओं से उप-घटकों का उपयोग करके नेटवर्क बनाने की अनुमति देता है।

नोट :

- O-RAN **एकल-विक्रेता स्वामित्व आर्किटेक्चर** के विपरीत मोबाइल नेटवर्क को प्रसारित करने के लिये एक **ओपन, बहु-विक्रेता आर्किटेक्चर** प्रणाली है।
- O-RAN विभिन्न कंपनियों द्वारा **निर्मित हार्डवेयर को एक साथ काम करने में सक्षम बनाने के लिये सॉफ्टवेयर का उपयोग** करता है।
- O-RAN की प्रमुख अवधारणा RAN में विभिन्न उप-घटकों (रेडियो, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर) के बीच **प्रोटोकॉल एवं इंटरफेस** को **"खोलना"** है।

राजस्थान में पाकिस्तानी हिंदू अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहे

चर्चा में क्यों ?

सूत्रों के मुताबिक, नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) 2019 के बीच राजस्थान में पाकिस्तानी हिंदुओं को अनिश्चित भविष्य का सामना करना पड़ रहा है।

मुख्य बिंदु:

- वर्तमान आम चुनावों के दौरान, **नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA), 2019** के व्यापक उत्साह के बीच,जिसने **31 दिसंबर, 2014 के बाद भारत आए कुछ व्यक्तियों को राहत प्रदान की है,** उन्हें कई अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ रहा है।
- इन व्यक्तियों को अब प्राथमिक **नागरिकता अधिनियम 1955** के तहत नागरिकता प्राप्त करने की आवश्यकता है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके परिणामस्वरूप ऐतिहासिक रूप से आवेदकों को लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है।
- **पाकिस्तानी हिंदू परिवार,** जो वर्षों पहले पाकिस्तान की सीमा से लगे क्षेत्र **बाड़मेर में चले गए थे,** यह भावना व्यक्त करते हैं कि **CAA या नागरिकता कानून** का तब तक सीमित महत्त्व है जब तक कि उनके रहने की स्थिति में सुधार नहीं हो जाता।
- **भारतीय नागरिकता** प्राप्त करने के बावजूद इनमें से **कई परिवार गरीबी की स्थिति में रहते हैं** और **सामाजिक प्रतिष्ठा** का सामना करते हैं।

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA), 2019

- **नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 का उद्देश्य नागरिकता अधिनियम (CAA), 1955 में संशोधन करना है।**
- CAA **पाकिस्तान, अफगानिस्तान** और **बांग्लादेश** से छह गैर-दस्तावेज़ गैर-मुस्लिम समुदायों (**हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई**) को धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है, जिन्होंने **31 दिसंबर, 2014** को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया था।
- यह अधिनियम इन **छह समुदायों** के सदस्यों को **विदेशी अधिनियम, 1946** और **पासपोर्ट अधिनियम, 1920** के तहत किसी भी **आपराधिक मामले** से छूट देता है।
- दोनों अधिनियम **अवैध रूप से देश में प्रवेश करने** और **वीज़ा या परमिट** के समाप्त हो जाने पर यहाँ रहने के लिये **दंड निर्दिष्ट** करते हैं।

थार रेगिस्तान में वनस्पति की संभावना

चर्चा में क्यों ?

वर्षा और जलवायु डेटा पर एक सिद्धांत के अनुसार, 'इंडियन ओशन वार्म पूल' (IOWP) पर ध्यान केंद्रित करते हुए वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण थार रेगिस्तान में वनस्पति की संभावना हो सकती है।

मुख्य बिंदु:

- **हिंद महासागर में IOWP** की उपस्थिति को कई वर्षों से मान्यता प्राप्त है और यह मानसून के निर्माण में भूमिका निभाता है। **ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव** से हिंद महासागर वार्मिंग पूल **पश्चिम की ओर बढ़ रहा है।**

नोट :

- IOWP की पश्चिमी सीमा पर **जल वाष्पित हो जाता है तथा पृथ्वी के घूर्णन से भारत की ओर खिंच/चला जाता है,** जिससे उत्तर-पूर्व में **150 दिनों तक और उत्तर-पश्चिम में केवल 70 दिनों तक वर्षा होती है**
- IOWP के पश्चिम की ओर विस्तार के साथ, 'वर्षा के मौसम की अवधि' के परिणामस्वरूप भारत के अर्द्ध-शुष्क उत्तर-पश्चिम में **औसत ग्रीष्मकालीन वर्षा में 50-100% की वृद्धि होगी।**
- मूलत: वैज्ञानिकों का तर्क है कि थार रेगिस्तान में पर्याप्त वर्षा होने के कारण इस क्षेत्र में धीरे-धीरे हरियाली होने की क्षमता है।

थार रेगिस्तान

- थार रेगिस्तान, जिसे **ग्रेट इंडियन डेज़र्ट (भारतीय महा मरुस्थल)** के रूप में भी जाना जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप पर रेतीली पहाड़ियों का एक शुष्क क्षेत्र है।

नोट :

- यह **विश्व के सबसे बड़े उपोष्णकटिबंधीय रेगिस्तानों** में से एक है।
- यह भारत में **राजस्थान, गुजरात और हरियाणा** राज्यों तथा **पाकिस्तान में सिंध व पंजाब प्रांतों** तक फैला हुआ है।
- **इसकी सीमा पश्चिम में सिंचित सिंधु नदी के मैदान, उत्तर और उत्तर-पूर्व में पंजाब के मैदान, दक्षिण-पूर्व में अरावली पर्वतमाला तथा दक्षिण में कच्छ के रण से लगती है।**
- यह रेगिस्तान **कच्छ के ग्रेटर रण से पश्चिम में लूनी नदी की निचली दलदली भूमि से अलग होता है।**

चंबल नदी

चर्चा में क्यों ?

आत्महत्या के एक संदिग्ध मामले में, राजस्थान के कोटा में एक घाट के पास चंबल नदी से एक पुरुष और एक महिला के शव बरामद किये गए।

मुख्य बिंदु:

- चंबल 960 किमी. लंबी नदी है जो **विंध्य पर्वत** (इंदौर, मध्य प्रदेश) के उत्तरी ढलान में **सिंगार चौरी चोटी** से निकलती है। वहाँ से यह मध्य प्रदेश में **उत्तर दिशा में लगभग 346 किमी. की लंबाई तक** बहती है और फिर राजस्थान से होते हुए **225 किमी. की लंबाई तक उत्तर-पूर्व दिशा** में बहती है।
- यह उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और इटावा ज़िले में **यमुना नदी** में मिलने से पूर्व लगभग 32 किमी. तक बहती है।
- यह एक **बरसाती नदी** है और इसका बेसिन **विंध्य पर्वत** श्रृंखलाओं तथा **अरावली से घिरा** है। चंबल और उसकी सहायक नदियाँ उत्तर-पश्चिमी मध्य प्रदेश के **मालवा** क्षेत्र से बहती हैं।
- **सहायक नदियाँ:** बनास, काली सिंध, पारबती।
- **मुख्य विद्युत परियोजनाएँ/बाँध:** गांधी सागर बाँध, राणा प्रताप सागर बाँध, जवाहर सागर बाँध और कोटा बैराज।
- **राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य** राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के त्रि-जंक्शन पर चंबल नदी के तट पर स्थित है। यह गंभीर रूप से संकटग्रस्त **घड़ियाल, रेड क्राउन्ड रूफ टर्टल** और संकटग्रस्त **गंगा नदी डॉल्फिन** के लिये प्रसिद्ध है।

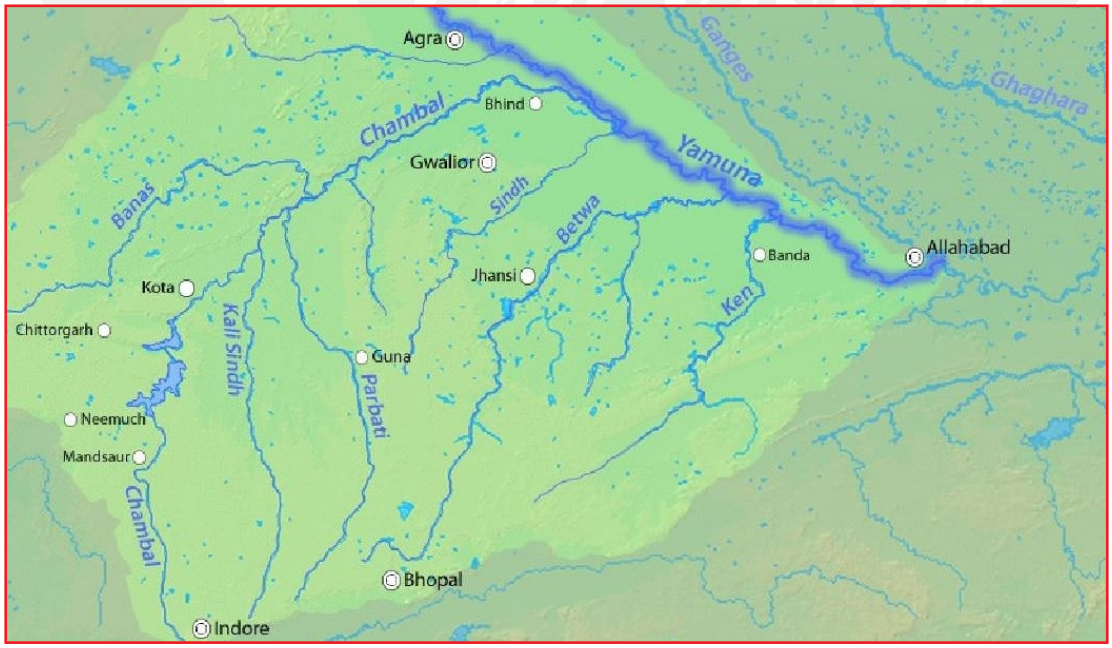

✦ ✦ ✦ ✦

नोट :